14.5.19

2019/00186

स्टेशनरी, मांडलगढ़ 230289
ता. पेशी स्टेज
4.6.19
19.6.19
27.6.19
8.7.19

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नम्बर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	फैसला क्रमांक
1	2	3	4	5
88 R.T. Act	20/19	16/4/19	अन्तिम साक्ष्य अवसर वादी	2/2/2022

30/7/19
28/8/19
26/9/19
23.1.20
27.2.20
12.3.20
~~26.3.20~~
9.4.20
5/11/20
19.11.20
14.1.21
4.3.21
साक्ष्य वादी अन्तिम अवसर 9/2/22
4.5.22
22.9.22
24.11.22
28.6.23 - सहमती के 12.1.23
खारीज का आदेश, बनाम

अनवान

श्री शंकर लाल मोड़ श्री बनाम

निवासी बिजौलिया निवासी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / बनाम

श्री गिरधारी लाल पिता श्री रामसुख धाकड़ श्री Govt.

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

किस्म मुकदमा ________ नं. ________ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/12/21	[illegible] प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 में पेश हुई [illegible] वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से [illegible] नहीं हो सका। पत्रावली दि. 5.01.2022 को वास्ते सा. [illegible] पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	
5/1/22	पत्रावली पेश हुई। साक्ष्यवाही हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवाही दि. 2.2.2022 को पेश हो।	
02/02/2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. [illegible] पर हैं। पत्रावली दिनांक 04/05/22 को [illegible] साक्ष्यवाही [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी	
04/05/2022	पत्रावली पेश [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] पत्रावली दिनांक 09/06/22 [illegible] साक्ष्यवाही [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी	
9/6/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 4.8.22 को वास्ते साक्ष्यवाही पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
4/8/22	पत्रावली पेश हुई। साक्ष्यवाही हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवाही दि. 22/9/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म के में जा
22 9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व सरकार पैरोकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 24.11.22को पेश हो।	
24 11/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी व सरकार पैरोकार उप.। वकीलवादी साक्ष्यवादी में गवाह पेश नहीं करना चाहते है अत: साक्ष्यवादी बंद की जाती है पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी दि. 12.1.23 को पेश हो।	
12 1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23.2.23 को वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी	
23 2/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 22/3/23को वास्ते सा.प्रति पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी	
22/3/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26/4/23 को वास्ते सा. प्रति पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी	
26/4/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 31/5/23 को वास्ते सा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

म्बर व हकाम क्म की रीख में जारी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/5/23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। साक्ष्यप्रतिवादी की ओर से जवाब पूर्व में प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की जाकर, पत्रावली वास्ते बहस आगामी सुनवाई 07/6/23 को पेश हो।	
7/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में ~~बहस वास्ते 28/6/23 दिनांक 28/6/23 को पेश हो।~~ बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28/06/23 को पेश हो।	
28/06/23	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित अधिवक्ता वादी उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखा जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 20/2019

दायर तारीख 16.04.2019

अनवान

शंकरलाल पिता भवाना जाति ओड उम्र बालिग व्यवसाय काश्त, निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

...........वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

..........प्रतिवादी

उपस्थित :— 01 श्री गिरधारीलाल — अधिवक्ता वादी
02 पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

—: निर्णय :—

दिनांक : 28/06/2023

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का मौजा बिजौलियां स्थित खसरा न0 1 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वां में हुये आवंटन खसरा न0 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वां को अपनी खातेदारी में दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी को आवंटन आदेश की पालना में भूमि वादी के खाते में दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज व नक्शा ट्रैस में तरमीम हेतु निवेदन किया जिन्होने पुराना प्रकरण होने से वादी के नाम भूमि दर्ज करने से इंकार कर दिया। वादी ने अनुतोष चाहा की मौजा बिजौलियां स्थित खसरा न0 1 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वां में हुये आवंटन खसरा न0 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वां का खातेदार घोषित किये जाने उसका नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के सादिर फरमायी जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार होने से तहसीलदार बिजौलियां ने दिनांक 08.07.2019 से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामील पत्रावली किया गया। पैराकार सरकार ने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 से लगायत 10 व 13 अस्वीकार किया हैं, वादपत्र की चरण संख्या 11 व 12 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित होना बताया हैं, वादपत्र की चरण संख्या 14 में अंकित किया कि मौजा बिजौलियां में आवंटन कमेटी द्वारा वादी को आ0नं0 1 मी. में 3—17 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। उक्त आ0नं0 1 मी0 आवंटन दिनांक 22.05.1989 को चरागाह दर्ज रिकॉर्ड थी। चारागाह भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित नहीं की जा सकती है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा प्रतिवादी को जारी तहरीर में आवंटित आराजी, आंवटित रकँबा व ग्राम का नाम अंकित नही कर, भूमि मौके पर बिलानाम नहीं हैं। अंकित कर आदेशित किया है। आवंटन का अमल दरामद रिकॉर्ड में करने हेतु आदेशित नहीं किया गया था। चारागाह से बिलानाम बाद में रकबा दर्ज हुआ हैं। वाद अस्वीकार हैं। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वाद निराधार होने से खारिज योग्य बताया एवं निरस्त करवाना चाहा गया।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कियें।

1. आवेदन पत्र धारा 101 दिनांक 22.05.89 की पेश किया जो प्रदर्श —1 हैं।
2. प्रतिलिपि पेमूदगी पर्चा।
3. प्रतिलिपि नकल जमाबन्दी संवत् 2071—2074 की पेश की जो प्रदर्श —2 हैं।
4. नक्शा ट्रेस ग्राम बिजौलियां।

प्रतिवादीगण की ओर से अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही हुयें।

वादपत्र और जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

01. आया मौजा बिजौलियां कलां स्थित आराजी ख0 नं0 1 रकबा 18—07 बीघा में से 3 बीघा 17 बिस्वां का आवंटन जरिये पत्रावली संख्या 456 सन 1986 से किया गया। जिसकी पालना हेतु आवंटन अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 24.04.1989 तहरीर जारी कर आदेश की पालना मंगवायी गयी ?

..........जिम्मे वादी

02. आया आवंटन अधिकारी महोदय के आदेश की पालना वादी को उसे आवंटित हुयी भूमि का कब्जा दिया गया किन्तु राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में आवंटन आदेश अनुसार नहीं किया गया।

............जिम्मे वादी

03. आया वादी को आराजी ख0 नं0 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वां की खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज उचित हैं ?

............जिम्मे वादी

04. आया आवंदन ओदश बावजूद भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं होने से आदेश की पालना किया जाना संभव नही होने से आवंटन आदेश की क्रियान्विती हुयी।

............जिम्मे प्रतिवादीगण

05. आया आराजी ख0 नं0 1 को सक्षम अधिकारी के आदेश से चारागाह में दर्ज की गयी उसका वाद पर क्या प्रभाव हैं।

............जिम्मे प्रतिवादीगण

06. आया कि अनुतोष क्या होगा ?

साक्ष्य वादी में शंकरलाल पिता भवानीलाल जाति ओड़ उम्र 55 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

वादी अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया, वादी ने साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात, नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। वादी के वादपत्र को डिक्री फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पैराकार सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन किया।

पत्रावली में पैरोकार सरकार तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट अनुसार मौजा बिजौलियां में आवंटन कमेटी द्वारा वादी को आ0नं0 1 मी. में 3–17 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। उक्त आ0नं0 1 मी0 आवंटन दिनांक 22.05.1989 को चरागाह दर्ज रिकॉर्ड थी। चारागाह भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित नहीं की जा सकती है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा प्रतिवादी को जारी तहरीर में आवंटित आराजी, आंवटित रकबा व ग्राम का नाम अंकित नही कर, भूमि मौके पर बिलानाम नही हैं। चारागाह से बिलानाम बाद में रकबा दर्ज हुआ हैं। वाद अस्वीकार हैं। वाद निराधार होने से खारिज योग्य हैं।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट के आधार पर मौजा बिजौलियां कलां स्थित खसरा न0 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वां का खातेदार वादी को घोषित किया जाना उचित नहीं समझते है। प्रस्तुत वाद पत्र वादी खारीज किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः मौजा बिजौलियां कलां स्थित खसरा न0 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वां भूमि से वादी शंकरलाल पिता भवाना ओड निवासी बिजौलियां का वादपत्र अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां